SS
17.1.72

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 1971/अग्रहायण 22, 1893

No. 228] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 1971/AGRAHAYANA 22, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November 1971

G.S.R. 1883.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1971.

2. **Definitions.**—In these rules under the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) All other words and expressions used hereinafter but not defined herein shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. **Form of notices and orders.**—A notice or order under the Act shall be in one of the appropriate forms appended to these rules.

4. **Manner of service of notices and orders.**—(1) In addition to any mode of service specified in the Act, a notice issued under sub-section (1) of section 4 or sub-section (1) of section 6 or sub-section (1) or (2) of section 7 or sub-section (1) of section 13 of the Act shall be served by delivering or tendering a copy of the notice to the person for whom it is intended or to any adult member of his family, or by sending it by registered post acknowledgment due in a letter addressed to that person at his usual or last-known place of residence or business.

(2) Where the copy of the notice under sub-rule (1) is delivered or tendered, the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered should be obtained in token of acknowledgment of the service.

(3) In respect of a notice issued under sub-section (1) of section 4 or sub-section (1) of section 6 or sub-section (1) or (2) of section or sub-section (1) of section 13 of the Act, where the person or the adult member of the family of such person refuses to sign the acknowledgment, or where such person cannot be found after using all due and reasonable diligence, and there is no adult member of the family of such person, a copy of the notice shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the ordinary residence or usual place of business of such person and the original shall be returned to the estate officer who issued the notice, with a report endorsed thereon or annxed thereto stating that a copy has been so affixed, the circumstances under which it was done so and the name address of the person, if any, by whom the ordinary residence or usual place of business was identified and in whose presence the copy was affixed.

(4) (1) If a notice issued under sub-section (1) of section 4 or sub-section (1) or (2) of section 7 or sub-section (1) of section 13 of the Act cannot be served in the manner provided in sub-rule (1), the estate officer may, if he thinks fit, direct that such notice shall also be published in at least one newspaper having circulation in the locality and he may also proclaim the contents of any notice in the locality by beat of drum.

5. **Holding of inquiries.**—(1) Where any person on whom a notice or order under this Act has been served desires to be heard through his representative, he should authorise such representative in writing.

(2) The estate officer shall record the summary of the evidence tendered before him. The summary of such evidence and any relevant documents filed before him shall form part of the records of the proceedings.

6. **Transfer of pending proceedings.**—(1) On the application of any person to whom a notice under the Act has been served and after hearing him, if he desires to be heard, or of its or his own motion, the Central Government or any Gazetted officer especially authorised by the Central Government in this behalf by notification in the Official Gazette may at any stage transfer any proceeding pending before an estate officer for disposal of the same.

(2) Where any proceeding has been transferred under sub-rule (1), the estate officer who thereafter is in charge of such proceeding may, subject to any special directions in the order of transfer, either re-start it or proceed from the point at which it was transferred.

7. **Manner of taking possession of public premises.**—(1) If any obstruction is offered, or is in the opinion of the estate officer likely to be offered, to the taking possession of any public premises under the Act, the estate officer or any other officer duly authorised by him in this behalf may obtain necessary police assistance.

(2) Where any public premises of which possession is to be taken under the Act is found locked, the estate officer or any other officer duly authorised by him in this behalf may either seal the premises or in the presence of two witnesses break open the locks or open or cause to be opened any door, gate or other barrier and enter the premises:

Provided that,—

(1) no entry shall be made into, or possession taken of, a public premises before sunrise or after sunset;

(2) where any public premises is forced open, an inventory of the articles found in the premises shall be taken in the presence of two witnesses.

8. **Assessment of damages.**—In assessing damages for unauthorised use and occupation of any public premises the estate officer shall take into consideration the following matters namely:—

(a) the purpose and the period for which the public premises were in unauthorised occupation;

(b) the nature, size and standard of the accommodation available in such premises;

(c) the rent that would have been realised if the premises had been let on rent for the period of unauthorised occupation to a private person;

(d) any damage done to the premises during the period of unauthorised occupation;

(e) any other matter relevant for the purpose of assessing the damages.

9. **Procedure in appeals.**—(1) An appeal preferred under section 9 of the Act shall be in writing, shall set forth concisely the grounds of objection to the order appealed against, and shall be accompanied by a copy of such order.

(2) On receipt of the appeal and after calling for and perusing the record of the proceedings before the estate officer, the appellate officer shall appoint a time and place for the hearing of the appeal and shall give notice thereof to the estate officer against whose orders the appeal is preferred, to the appellant and to the head of the department or authority in administrative control of the premises.

10. **Repeal.**—The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1958 is hereby repealed.

FORM "A"

Form of notice under sub-section (1) of section 4 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971

To

Shri/Shrimati/Kumari...
....

Whereas I, the undersigned, am of opinion, on the grounds specified below, that you are in unauthorised occupation of the public premises mentioned in the Schedule below and that you should be evicted from the said premises:

Grounds

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 4 of the Act I hereby call upon you to show cause on or before the *.........................why such an order of eviction should not be made.

SCHEDULE

Date................ Signature and Seal of the estate officer.

(*This date should be a date not earlier than ten days from the date of issue of the notice).

FORM "B"

Order under sub-section (1) of section 5 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971

Whereas I, the undersigned, am satisfied for the reason recorded below that Shri/Shrimati/Kumari..................................is/are in unauthorised occupation of the public premises specified in the Schedule below:

Reasons

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (1) of section 5 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, I hereby order the said Shri/Shrimati/Kumari .. .. and all persons who may be in occupation of the said premises or any part thereof to vacate the said premises within thirty days of the date of publication of this order. In the event of refusal or to comply with this order within the period specified above, the said Shri/Shrimati/Kumari..and all other persons concerned are liable to be evicted from the said premises, if need be, by the use of such force as may be necessary.

SCHEDULE

Date.................. Signature and Seal of the Estate Officer.

FORM "C"

Form of notice under sub-section (1) of section 6 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971

Shri/Shrimati/Kumari..

....

Whereas on the ....you were evicted from the public premises described in the Schedule below which was unauthorisedly occupied by you;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) of section 6 of the Act, I hereby give you notice that after fourteen days of the service of this notice on you, any property remaining on the said premises will be liable to be removed or disposed of by public auction. In case you desire to take possession of your property and to remove the same from the said premises, you will be permitted to do so on written authority from the undersigned provided any arrears of rent/damages/costs due from you are paid within the said period of fourteen days.

SCHEDULE

Date................ Signature and Seal of the Estate Officer.

FORM "D"

Notice under sub-section (3) of Section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971

To

Shri/Shrimati/Kumari..

....

Whereas you are/were in occupation of the public premises described in the Schedule below:

And whereas a sum of Rs.............................being the arrears of rent from the..................day of..............197 , upto the......................day of................ 197 , (both days inclusive) in respect of the said premises is due and payable by you and to the Government;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, I hereby call upon you to show cause on or before the......................why an order requiring you to pay the said arrears of rent should not be made.

SCHEDULE

Date................ Signature and Seal of the Estate Officer.

FORM "E"

Form of Order under sub-section (1) of section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971

To

Shri/Shrimati/Kumari....................................
....

Whereas you are/were in occupation of the public premises described in the Schedule below;

And whereas, by a written notice dated..............you were called upon to show cause on or before..............why an order requiring you to pay a sum of Rs........................being the rent payable in respect of the said premises should not be made;

And, whereas, I have considered your objection and/or the evidence produced by you;

And whereas you have not made any objections or produced any evidence before the said date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 I hereby require you to pay the sum of Rs...............(Rupees.........................) as follows:—

In the case the said sum is not paid within the said period or in the said manner, it will be recovered as an arrear of land revenue.

SCHEDULE

Date................ Signature and Seal of the Estate Officer.

FORM "F"

Notice under sub-section (3) *of section* 7 *of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act,* 1971

To

Shri/Shrimati/Kumari..................................

....

Whereas I, the undersigned, am satisfied that you are/were in unauthorised occupation of the public premises mentioned in Schedule I below;

And, whereas, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (2) of section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 I consider the damages amounting to Rs..................are due for the period(s) and at the rate(s) shown in Schedule II below, on account of unauthorised use and occupation of the said premises;

Now, therefore under the provisions of sub-section (3) of section 7 of the Act, I hereby call upon you to show cause on or before the..........................why an order requiring you to pay the said damages should not be made.

SCHEDULE I

SCHEDULE II

Date................ Signature and Seal of the Estate Officer.

FORM "G"

Form of order under sub-section (2) *of section* 7 *of the Public Premises Eviction of Unauthorised Occupants) Act,* 1971

To

Shri/Shrimati/Kumari..................................

....

Whereas I, the undersigned, am satisfied that you are/were in unauthorised occupation of the public premises mentioned in Schedule below;

And whereas by a written notice dated..........you were called upon to show cause on or before the............................why an order requiring you to pay damages of Rs...............for unauthorised use and occupation of the said premises should not be made:

And whereas I have considered your objections and/or the evidence produced by you:

And whereas you have not made any objections or produced any evidence before the said date:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (2) of section 7 of the Public Premises (Eviction of Uuauthorised Occupants) Act, 1971, I hereby order you to pay the sum of Rs...........assessed by me as damages on account of your unauthorised occupation of the said premises within............... months in equal instalments of Rs..................

In the event of your refusal or failure to pay the damages or any instalment thereof within the said period or in the manner aforesaid the amount will be recovered as an arrear of land revenue.

SCHEDULE

Date................ Signature and Seal of the Estate Officer.

FORM "H"

Form of Order under section 12 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971

To

Shri/Shrimati/Kumari..................................
....

Whereas, there are reasons to believe that certain persons are in unauthorised occupation of the public premises described in the Schedule hereto annexed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 read with the notification of the Estate Officer................I hereby require you to furnish the information in the form specified in Schedule II hereto annexed on or before...............

SCHEDULE I

SCHEDULE II

Date................ Signature and Seal of the Estate Officer of the signature of the Officer authorised by the estate officer.

NOTE.—Failure to comply with this order is an offence under the Indian Penal Code.

FORM "I"

Certificate under section 14 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 from the Estate Officer to the Collector.................

This is to certify that the amount of Rs..................is due to the Central Government from Shri....................resident of..................on account of rent/damages/costs of appeal.

In pursuance of section 14 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, I...............estate officer, request you to proceed to recover the same as an arrear of land revenue.

FORM "J"

Notice under sub-section (2) of section 13 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act. 1971

To

Shri/Shrimati/Kumari..................................
....

Whereas Shri..................(now deceased) was in occupation/unauthorised occupation of the public premises described in the Schedule below ;

And whereas the amount of Rs.............being arrears of rent/damages from the.................day of............197 , upto the..........day of ....197 , in respect of the said premises had become due and payable by the said Shri..........................to the Government;

And whereas you are the heir/legal representative of the deceased, Shri.......... ....;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 13 of the Act, I hereby call upon you to show cause on or before the........................why an order requiring you to pay the said arrears of rent/damages should not be made against you.

SCHEDULE

Date................ Signature and Seal of the Estate Officer.

[No. F. 21011(4)/71—Pol. IV.]

B. L. CHAK, Jt. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 1883.—लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का नाम लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971 होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971 (1971 का 40) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें इसके पश्चात प्रयुक्त हैं, किन्तु इस में परिभाषित नहीं हैं, व ही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

3. **सूचना और आदेशों का प्रारूप.**—इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना और आदेश इन नियमों से संलग्न किसी एक समुचित प्ररूप में होगा ।

4. **सूचना और आदेश के तामील करने की रीति:**—

(1) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट तामील करने की किसी रीति के अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) या धारा 6 की उपधारा (1) या धारा 7 की उपधारा (1) या (2) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना की तामील, ऐसे व्यक्तियों को जिसके लिए वह आशयित हो या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्थ सदस्य को उस सूचना की एक प्रति परिदत्त या निविदत्त कर के या उसे उस व्यक्ति को सम्बोधित पत्र में उसके प्राथमिक या अन्तिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान पर रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज कर की जायेगी ।

(2) जहां उप नियम (1) के अधीन सूचना की प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसको प्रति इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त की गई है, तामील की अभिस्वीकृति के प्रमाण के रूप में अभिप्राप्त किए जाएंगें ।

(3) इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) या धारा 6 की उपधारा (1) या धारा 7 की उपधारा (1) या (2) या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन, जारी की गई सूचना के बारे में जहां वह व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब का वयस्थ सदस्य अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहां ऐसा व्यक्ति सब सम्यक और युक्तियुक्त तत्परता का उपयोग करने के पश्चात नहीं मिल सकता है, और ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब का कोई वयस्थ सदस्य नही है तो उस सूचना की

एक प्रति ऐसे व्यक्ति के सामान्य निवास स्थान या प्रायिक कारबार के स्थान के बाहरी द्वार या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी और मूल प्रति उस सम्पदा अधिकारी को वापिस कर दी जाएगी जिस ने वह सूचना जारी की थी और उस पर एक रिपोर्ट पृष्ठांकित की जाएगी या उस से उपाबद्ध की जाएगी जिसमें, इस प्रकार लगाई गई प्रति, वे परिस्थितियां जिन के अधीन ऐसा किया गया था और उस व्यक्ति का नाम और पता यदि कोई हो, जिसने सामान्य निवास स्थान या प्रायिक कारबार के स्थान की शनाख्त की थी और जिसकी उपस्थिति में वह प्रति लगाई गई थी, उल्लिखित किया जाएगा।

(4) यदि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) या धारा 7 की उपधारा (1) या (2) या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन की कोई किसी सूचना की तामील उप-नियम (1) में उपबन्धित रीति में नहीं की जा सकती है तो सम्पदा अधिकारी, यदि वह उचित समझता है, यह निदेशक दे सकेगा कि ऐसी सूचना कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में, जो उस परिक्षेत्र में परिचालन में हो, प्रकाशित की जाएगी और वह किसी सूचना की अन्तर्वस्तु को उस परिक्षेत्र में डोंडी पिटवाकर भी उद्घोषित कर सकेगा।

5. **जांच करना** :—

(1) जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना या आदेश की तामील हो गई है, वह चाहता है कि उसे उसके प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जाए तो उसे ऐसे प्रतिनिधि को लिखित में प्राधिकृत करना चाहिए।

(2) सम्पदा अधिकारी अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य को संक्षेप में अभिलिखित करेगा ऐसे साक्ष्य का संक्षेप और उस के समक्ष दाखिल किए गए कोई सुसंगत दस्तावेज कार्यवाही के अभिलेखों के भाग होंगे।

6. **लम्बित कार्यवाही का अन्तरण** :—

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जिस को इस अधिनियम के अधीन सूचना की तामील हो गई हो और उसे सुनने के पश्चात यदि वह चाहता है कि उसे सुना जाए, या स्वप्रेरणा से, केन्द्रीय सरकार या कोई ऐसा राजपत्रित अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए किसी सम्पदा अधिकारी के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही का अन्तरण उस के निपटाए जाने के लिए किसी भी प्रक्रम पर कर सकेगा।

(2) जहां कोई कार्यवाही उपनियम (1) के अधीन अन्तरित की गई हो तो ऐसा सम्पदा अधिकारी जो उसके पश्चात ऐसी कार्यवाही का भारसाधक है अन्तरण के आदेश में किन्ही विशेष निदेशों के अधीन, या तो उसे पुनः प्रारम्भ कर सकेगा या उस प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा जहां से वह अन्तरित की गई थी।

7. **लोक परिसरों को कब्जे में लेने की रीति:--**

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी लोक परिसर को कब्जे में लेने में कोई बाधा डाली गई है, या सम्पदा अधिकारी की राय में, बाधा डाले जाने की सम्भावना है तो सम्पदा अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी पुलिस की सहायता अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(2) जहां कोई ऐसा लोक परिसर जिस का कब्जा इस अधिनियम के अधीन लिया जाना है ताला बन्द पाया गया हो तो सम्पदा अधिकारी या इस निमित्त उस के द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी परिसर को मुद्राबन्द कर सकेगा या दो साक्षियों की उपस्थिति में ताले तोड़ सकेगा या किसी के द्वारा दरवाजे या अन्य रोध को खोल सकेगा या खुलवा सकेगा और परिसर में प्रवेश कर सकेगा :--

परन्तु--

(1) किसी लोक परिसर में सूर्योदय पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात् प्रवेश नहीं किया जाएगा, या उसका कब्जा नहीं लिया जाएगा;

(2) जहां कोई लोक परिसर बलात् खोला गया है तो परिसर में मिली वस्तुओं की तालिका दो साक्षियों की उपस्थिति में बनाई जाएगी ।

8. **नुकसानी का निर्धारण:**--किसी लोक परिसर के अप्राधिकृत प्रयोग और अधिभोग के लिए नुकसानी का निर्धारण करने में सम्पदा अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा; अर्थात :--

(क) ऐसा प्रयोजन और अवधि जिसके लिए लोक परिसर अप्राधिकृत अभियोग में थे;

(ख) ऐसे परिसरों में उपलब्ध वास-सुविधा का स्वरूप, आकार और स्तर;

(ग) ऐसा किराया जो उस दशा में वसूल किया जाता यदि परिसर अप्राधिकृत अधिभोग की अवधि के लिए किसी प्राईवेट व्यक्ति को किराए पर दिया गया होता;

(घ) अप्राधिकृत अधिभोग की अवधि में के दौरान परिसर को पहुंचाया गया कोई नुकसान,

(ङ) नुकसानी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कोई अन्य सुसंगत बात ।

9. **अपीलों में प्रक्रिया:**--

(1) इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन की गई कोई अपील लिखित में होगी, उसमें उस आदेश के बारे में जिसके विरुद्ध अपील की गई है आपत्ति के आधार संक्षेपत: दिये जाएंगे, और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी ।

(2) अपील की प्राप्ति पर और सम्पदा अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगाने और उस के परिशीलन के पश्चात्, अपील अधिकारी अपील की सुनवाई के लिए समय और स्थान नियत करेगा और उस सम्पदा अधिकारी को आदेशों के विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी को और विभाग के प्रधान, या प्राधिकारी को, जिस के प्रशासनिक नियंत्रण में ऐसे परिसर हैं, उस की सूचना देगा ।

10. **निरसन.**-- लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1958 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

प्ररूप "ड़"

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का प्ररूप

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . .

यतः मेरी, निम्न हस्ताक्षरकर्ता की, नीचे विनिर्दिष्ट आधारों के अनुसार यह राय है कि आप नीचे की अनुसूची में उल्लिखित परिसरों का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं और आपको उक्त परिसरों से बेदखल किया जाना चाहिए;

आधार

अतः, अब, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में, मैं आपसे एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूं कि आप तारीख* . . . . को या उससे पूर्व हेतुक दर्शित करें कि बेदखली का ऐसा आदेश क्यों न दिया जाए ।

अनुसूची

तारीख . . . . सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

(*यह तारीख वह तारीख होनी चाहिए जो इस सूचना के जारी करने की तारीख से दस दिन से पहले नहीं होगी) ।

प्रारूप 'ख'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन आदेश

यतः मेरा, निम्न हस्ताक्षरकर्ता का, नीचे अभिलिखित कारणों के आधार पर समाधान हो गया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं/रही हैं :

कारण

अतः, अब, लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी .... और ऐसे सब व्यक्तियों को, जो उक्त परिसरों या उनके किसी भाग का अधिभोग कर रहे हों एतद्द्वारा आदेश देता हूं कि इस आदेश के प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के भीतर उक्त परिसरों को खाली कर दें। ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करने या असफल रहने की दशा में, उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी .... और अन्य सब सम्बन्धित व्यक्तियों को, यदि आवश्यक हो, इतने बल का प्रयोग करके जितना आवश्यक हो, उक्त परिसरों से बेदखल किया जाएगा।

अनुसूची

तारीख ....

सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा ।

प्ररूप 'ग'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971, की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का प्ररूप

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

यत: आप नीचे की अनुसूची में वर्णित लोक परिसर से तारीख .... को बेदखली किये गये थे जो अप्राधिकृत रूप से आपके अधिभोग में थी ;

अत:, अब, इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि इस सूचना को आपको तामील होने के चौदह दिन के पश्चात, उक्त परिसरों में रह गई किसी सम्पत्ति को हटा दिया जाएगा या लोक नीलाम द्वारा उसका व्ययन कर दिया जाएगा। यदि आप अपनी सम्पत्ति का कब्जा लेना और उक्त परिसर से उसे हटाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की अनुज्ञा निम्न हस्ताक्षरकर्ता से लिखित प्राधिकार पर दी जाएगी परन्तु यह तब जब कि आपसे देय किराए/नुकसानी/खर्च का कोई बकाया चौदह दिन की उक्त अवधि के भीतर संदत्त कर दिया जाए।

अनुसूची

तारीख ....   सम्पद अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा।

प्ररूप 'घ'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . .

. . . .

यत: आप नीचे की अनुसूची में वर्णित लोक परिसरों का अधिभोग कर रहे हैं/थे :

और यत: उक्त परिसरों के सम्बन्ध में 1971 के/की . . . . के . . . . दिन से 197 . . . . के/की . . . . के . . . . दिन तक (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित है) किराए के बकाया की रू० की राशि आप से सरकार को देय और संदेय है ;

अत: अब लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसरण में आपसे एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूं कि आप तारीख . . . . को या उससे पूर्व हेतुक दर्शित करें कि ऐसा आदेश, जिसमें आपसे किराए का बकाया के समुदाय की अपेक्षा की गई हो, क्यों न दिया जाए ।

अनुसूची

तारीख . . . .

सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा :

प्ररूप 'छ'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आदेश का प्ररूप

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . .

यतः आप नीचे की अनुसूची में वर्णित लोक परिसरों का अधिभोग कर रहे हैं/थे ;

और यतः, आपसे तारीख . . . . की लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा की गई थी कि आप तारीख . . . . को या उससे पूर्व हेतुक दर्शित करें कि ऐसा आदेश, जिसमें आपसे उक्त परिसरों के सम्बन्ध में देय किराए को रु० की राशि का संदाय करने की अपेक्षा की गई हो, क्यों न दिया जाए;

और यतः मैंने आपकी आपत्ति और/या आपके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का विचार किया है ।

और यतः आपने उक्त तारीख से पूर्व कोई आपत्ति नहीं की है या कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है;

अतः अब, लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपसे . . . . (. . . . . रुपए) की राशि का संदाय करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अपेक्षा करता हूं :

यदि उक्त राशि उक्त अवधि के भीतर या उक्त रीति से संदत्त नहीं कर दी जाती तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।

अनुसूची

तारीख . . . . सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 'च'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . .

यत: मेरा, निम्न हस्ताक्षरकर्ता का, समाधान हो गया है कि आप नीचे की अनुसूची 1 में उल्लिखित लोक परिसरों का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं /थे;

और, यत: लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेरा विचार है कि उक्त परिसरों के अप्राधिकृत प्रयोग और अधिभोग मद्धे, रु० की नुकसानी नीचे की अनुसूची 2 में दर्शित अवधि (अवधियों) तक और दर (दरों) पर देय है ;

अत:, अब, इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन, मैं आपसे एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूं कि आप तारीख . . . . को या उससे पूर्व हेतुक दर्शित करें कि ऐसा आदेश, जिसमें आपसे उक्त नुकसानी का संदाय करने के लिए अपेक्षा की गई हो, क्यों न दिया जाए ।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

तारीख . . . . सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा ।

प्ररूप 'छ'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आदेश का प्ररूप

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी . . . .

यतः मेरा, निम्न हस्ताक्षरकर्ता का समाधान हो गया है कि आप नीचे की अनुसूची में उल्लिखित लोक परिसरों का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं/थे;

और यतः, आप से तारीख . . . . की लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा की गई थी कि आप तारीख . . . . को या उससे पूर्व हेतुक दर्शित करें कि ऐसा आदेश, जिसमें आपसे उक्त परिसरों के अप्राधिकृत प्रयोग और अधिभोग के लिए रु० की नुकसानी का संदाय करने के लिए अपेक्षा की गई हो, क्यों न दिया जाए;

और यतः, मैंने आपकी आपत्तियों और / या आपके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर विचार किया है;

और यतः, आपने उक्त तारीख से पूर्व कोई आपत्ति नहीं की है या कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है;

अतः अब, लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको एतद्द्वारा आदेश देता हूं कि आप उक्त परिसरों के अपने अप्राधिकृत अधिभोग लेखे नुकसानी के रूप में मेरे द्वारा निर्धारित. . . . . . . .रु० की राशि का संदाय. . . . . मास के भीतर. . . . . रु० की समान किस्तों में करें;

नुकसानी या उसकी किसी किस्त का संदाय उक्त अवधि के भीतर या पूर्वोक्त रीति से करने से आपके इन्कार करने या असफल रहने की दशा में वह रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

अनुसूची

तारीख . . . . सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा।

प्ररूप 'ज'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 12 के अधीन आदेश का प्ररूप

सेवा में

श्री/श्रीमती/कुमारी...

यत: यह विश्वास करने के कारन हैं कि कतिपय व्यक्ति इससे उपाबद्ध अनसूची में वर्णित लोक परिसरों का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं;

अत: अब, सम्पदा अधिकारी..............की अधिसूचना के साथ पठित, लोक परिसर(अप्राधितकृत अधिभोगियो की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपसे एतद्‌द्वारा अपेक्षा करता हूं कि आप इससे उपाबद्ध अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में तारीख......को या उससे पूर्व जानकारी दें।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

तारीख

सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

या

सम्पदा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पण---इस आदेश का अनुपालन करने में असफल रहना भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है।

प्ररूप 'झ'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा कलक्टर को प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री...............................
निवासी..................से केन्द्रीय सरकार को किराए/नुकसानी/अपील के खर्चे लेखे ————रु० की रकम देय है।

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अनुसरण में, मैं................सम्पदा अधिकारी आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए अग्रसर हो।

प्ररूप 'ञ'

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी.. .....

यतः श्री..................(मृतक) नीचे की अनुसूची में वर्णित लोक परिसरों का अधिभोग अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा था;

और यतः, उक्त परिसरों के सम्बन्ध में 197.......के/की......के........ दिन से 197 के/की......के......दिन तक किराए या नुकसान के बकाया की...... रु० की रकम उक्त श्री............द्वारा सरकार को देय और संदेय हो गई थी।

और यतः, आप मृतक श्री के वारिस/विधिक प्रतिनिधि हैं;

अतः, अब, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अनुसरण में, मैं आपसे एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूं कि आप तारीख.............को या उससे पूर्व हेतुक दर्शित करें कि एसा आदेश. जिसमें आपसे किराए नुकसानी के उक्त बकाया के संदाय करने के लिए अपेक्षा की गई हो, आपके विरुद्ध क्यों न दिया जाए।

अनुसूची

तारीख.............. सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा।

[सं० फा० 21011 (4)/71-पोल IV.]

बी० एल० चक, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971